



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक , 1944 (श०)

संख्या - 542 राँची, गुरुवार,

17 नवम्बर, 2022 (ई०)

#### झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

-----

संकल्प

14 नवम्बर, 2022

विषय:- “मुख्यमंत्री सारथी योजना” अंतर्गत झारखंड राज्य के युवाओं को प्रखण्ड स्तर तक रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु योजना की स्वीकृति के संबंध में ।

**संख्या-1198--**झारखंड राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है। राज्य का मानव पूँजी संसाधन काफी हद तक अप्रयुक्त रहा है। राज्य के लोगों की सेवा करने के अपने मजबूत प्रतिबद्धता के साथ झारखंड सरकार का लक्ष्य राज्यभर में मानव संसाधन के लाभकारी विकास के लिए हर संभव अवसर प्रदान करना है, जिससे कि राज्य में समावेशी विकास (Inclusive growth) की परिकल्पना को साकार किया जा सके। इसी क्रम में राज्य में युवाओं के रोजगार वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने, उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने, राज्य के स्किल गैप (Skill Gap) को दूर करने एवं झारखंड सरकार की कौशल नीति निर्धारित करने हेतु झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाईटी का गठन किया

गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में कौशल विकास के लिये नोडल एजेंसी के रूप में केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न कौशल विकास के प्रयासों के मध्य प्रभावशाली समन्वय बनाना है। झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी राज्य में कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानकों पर आधारित प्रशिक्षण कराने और उसे स्वरोजगार एवं उद्योगों के मांग के अनुरूप बनाने की दिशा में कार्यरत है।

राज्य के युवाओं को हुनरमंद कर रोजगार पाने योग्य बनाने एवं स्वरोजगार से जोड़े जाने हेतु रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के निमित्त "मुख्यमंत्री सारथी योजना" का प्रस्ताव है, जो पूर्णतः निःशुल्क होगा।

### **"मुख्यमंत्री सारथी योजना" का उद्देश्य -**

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों (Common Cost Norms) के अनुरूप National Skill Qualification Framework (NSQF) आधारित रोजगारपरक एवं उद्योग प्रासंगिक Job Roles में प्रखण्ड स्तर तक कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना है।

इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं एवं शारीरिक रूप से निःशक्त, आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) एवं अन्य कोटि (Transgender सहित) के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण मापदंडों के अनुरूप राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Council- NSDC) तथा सेक्टर स्किल काउन्सिल (SSC) से संबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों में National Skill Qualification Framework (NSQF) compliant प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।

झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के द्वारा वर्तमान में इसके गठन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य में कौशल विकास के लिये भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप अधिसूचित National Skill Qualification Framework (NSQF) और निर्धारित मापदंडों (Common Cost Norms) पर आधारित निम्न कौशल विकास योजनाओं को क्रियान्वयन किया जा रहा है -

1. सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना (SJKVY)
2. दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र (DDUKK)
3. Employability Excellence with College Education & Learning (EXCEL)

इन सभी योजनाओं को मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत समाहित किया जाता है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन निम्नलिखित मापदंडों के तहत किया जाएगा -

- i. **सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना-** सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना (SJKVY) का उद्देश्य **18-35** वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं में गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है और इसे सम्पूर्ण राज्य में लागू किया जा रहा है। **रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग और बोकारो** के लिए प्रशिक्षण केंद्रों का आकार न्यूनतम **10,000** वर्ग फुट तथा शेष जिलों के लिए यह न्यूनतम **5000** वर्ग फुट निर्धारित किया गया है। योजना के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं।

**इस योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं**

- National Skill Qualification Framework - NSQF आधारित पाठ्यक्रम का प्रावधान है।
- लाभार्थियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षको का प्रशिक्षण (Training of Trainer) अनिवार्य है।
- भारत सरकार के Common Cost Norms के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भुगतान किया जाता है।
- उक्त योजना का संचालन झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के <http://jsdm.jharkhand.gov.in> पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
- उक्त योजना के तहत सभी प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति आधार आधारित बायोमैट्रिक्स प्रणाली (Aadhar Enabled Biometric Attendance System) द्वारा दर्ज किया जाता है।

ii. **दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्र (MEGA) दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्र (DDUKK)** लंबी अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, प्रशिक्षण अंतर्गत उम्मीदवार गहन तकनीकी कौशल प्रशिक्षण के साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग (OJT) प्राप्त करते हैं ताकि अभ्यर्थियों को उद्योग के लिए तैयार किया जा सके। प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन हेतु न्यूनतम आकार **25,000** वर्ग फुट निर्धारित है।

**इस योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं**

- योजना के तहत राज्य के **18** से **35** वर्ष के युवा लाभार्थी हैं।
- लाभार्थियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क प्रशिक्षण।
- National Skill Qualification Framework - NSQF आधारित पाठ्यक्रम जिसमें न्यूनतम **576** घंटों का कौशल प्रशिक्षण (**160** घंटे का Soft Skills, Entrepreneurship एवं IT प्रशिक्षण शामिल है) का प्रावधान है।
- यह योजना पूर्णतः आवासीय है।
- प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (Training of Trainer) अनिवार्य है।
- भारत सरकार के Common Cost Norms के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भुगतान किया जाता है।
- उक्त योजना का संचालन झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के <http://jsdm.jharkhand.gov.in> पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
- उक्त योजना के तहत सभी प्रशिक्षणार्थियों का उपस्थिति आधार आधारित बायोमैट्रिक्स प्रणाली (Aadhar Enabled Biometric Attendance System) द्वारा दर्ज किया जाता है।

- iii. **Employability Excellence with College Education & Learning (EXCEL):** यह कार्यक्रम 12वीं उत्तीर्ण छात्रों/स्नातक में अध्ययनरत छात्रों के लिए बनाया गया है। कार्यक्रम कॉलेज परिसर में चलाया जाता है। यह कार्यक्रम कॉलेज में चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों के साथ-साथ चलाया जा रहा है।

#### इस योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं

- योजना के तहत राज्य के 18 से 35 वर्ष के युवा लाभार्थी हैं।
- National Skill Qualification Framework - NSQF आधारित पाठ्यक्रम का प्रावधान है।
- लाभार्थियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क प्रशिक्षण।
- यह योजना पूर्णतः गैर आवासीय है।
- योजना के अंतर्गत Management & Entrepreneurship and Professional Skills Council (MEPSC) के दो पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- पाठ्यक्रम Office Operations Executive एवं Field Survey Enumerator हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है।
- प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (Training of Trainer) अनिवार्य है।
- भारत सरकार के Common Cost Norms के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भुगतान किया जाता है।
- उक्त योजना का संचालन झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के <http://jsdm.jharkhand.gov.in> पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
- उक्त योजना के तहत सभी प्रशिक्षणार्थियों का उपस्थिति आधार आधारित बायोमैट्रिक्स प्रणाली (Aadhar Enabled Biometric Attendance System) द्वारा दर्ज किया जाता है।

उपरोक्त तीन योजनाओं के अतिरिक्त चतुर्थ योजना **Block level Institute for Rural Skill Acquisition (BIRSA)** का संचालन मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया जा रहा है। प्रस्तावित **Block level Institute for Rural Skill Acquisition (BIRSA)** योजना की संरचना निम्नवत है-

- BIRSA योजना का संचालन NSDC के मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जायेगा।
- योजना के तहत राज्य के 18 से 35 वर्ष के युवा लाभार्थी हैं। आरक्षित श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों का अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
- National Skill Qualification Framework - NSQF आधारित पाठ्यक्रम पर कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- Sector Skill Council द्वारा तैयार किये गये Level I, II एवं III तक के पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी जायगी।
- BIRSA Training Center यथा संभव 5000 वर्गफीट के भवन में संचालित किया जायेगा।

- लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क होगा।
- प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (Training of Trainer) अनिवार्य होगी।
- भारत सरकार के Common Cost Norms के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भुगतान किया जाएगा।
- उक्त योजना का संचालन झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के <http://jsdm.jharkhand.gov.in> पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
- उक्त योजना के तहत सभी प्रशिक्षणार्थियों का उपस्थिति आधार आधारित बायोमैट्रिक्स प्रणाली (Aadhar Enabled Biometric Attendance System) द्वारा दर्ज किया जाएगा।
- यह योजना पूर्णतः गैर आवासीय होगा।
- योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 24 जिलों के समस्त प्रखण्डों में उपलब्ध सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों में संचालित किया जायेगा।
- इन केंद्रों में National Skill Qualification Framework - NSQF में उल्लेखित Level I, II एवं III के पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने पर प्राथमिकता दी जायेगी।
- Special Project - Special Project का संचालन BIRSA योजना के अंतर्गत किया जायेगा जिसमें उन विषयों पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जो मुख्यमंत्री सारथी योजना के अन्य घटकों के अंतर्गत उपलब्ध नहीं हैं।
- Special Project के अंतर्गत Traditional Art/Crafts एवं अन्य के लिए Job Role का पाठ्यक्रम बनाकर NSDC/SSC से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
- **Special Project** योजना हेतु मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्रति वर्ष 25 करोड़ रुपये बजट में प्रावधानित रहेगा।
- यदि प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन सरकारी भवनों यथा - कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, उच्च विद्यालय(+2)/उत्क्रमित उच्च एवं अन्य सरकारी भवन में किया जाता है तो ऐसी स्थिति में झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के शासी निकाय की दिनांक 05.12.2017 को संपन्न 14वीं बैठक के कार्यावली संख्या - 9(i) में सरकारी भवनों के कौशल प्रशिक्षण हेतु उपयोग के एवज में प्रशिक्षण राशि से कटौती संबंधी लिये गये निर्णय **कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन के लिए सरकारी भवनों के उपयोग हेतु प्रशिक्षण राशि से नगर निगम के क्षेत्र में 15 प्रतिशत कटौती** एवं अन्य क्षेत्रों हेतु 5 प्रतिशत की कटौती का अनुपालन किया जायेगा।
- जिन प्रखण्डों में आधारभूत संरचनाओं की कमी हो वैसे प्रखण्डों में सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों के भवनों का उपयोग विद्यालय की शैक्षणिक समय (School Time) से पूर्व एवं बाद में उक्त योजना हेतु कौशल प्रशिक्षण के लिए किया जायेगा। ऐसी स्थिति में झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के शासी निकाय की दिनांक 05.12.2017 को संपन्न 14वीं बैठक के कार्यावली संख्या - 9(i) में सरकारी भवनों के कौशल प्रशिक्षण हेतु उपयोग के एवज में प्रशिक्षण राशि से कटौती संबंधी लिये गये निर्णय **कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन के लिए**

सरकारी भवनों के उपयोग हेतु प्रशिक्षण राशि से नगर निगम के क्षेत्र में 15 प्रतिशत कटौती एवं अन्य क्षेत्रों हेतु 5 प्रतिशत की कटौती का अनुपालन किया जायेगा। तदनुसार प्रशिक्षण केन्द्र के किराये की राशि प्रशिक्षण सेवा प्रदाता के भुगतये राशि से कटौती कर संबंधित विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।

**मुख्यमंत्री सारथी योजना के उक्त पाँचों घटकों के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को संचालन निम्नांकित मानदंडों के अनुरूप किया जायेगा -**

- National Skill Qualification Framework - NSQF आधारित पाठ्यक्रम।
- Sector Skill Council द्वारा तैयार किये गये अद्यतन पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी जायगी।
- योजना अंतर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिये जाने हेतु जिला कौशल समिति के स्तर से जॉब रोलस (Job Roles) चिन्हित कर झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी में भेजना अनिवार्य होगा।
- प्रशिक्षण केन्द्र का प्रमाणिकरण (Center Accreditation) NSDC द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर किया जायेगा।
- Training Life Cycle, Skill India Portal के माध्यम से नियंत्रित एवं संचालित किया जायेगा।
- प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (Training of Trainer) अनिवार्य होगा।
- भारत सरकार के Common Cost Norms के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भुगतान किया जायेगा।
- भारत सरकार के Common Cost Norms के आधार पर अन्य मदों यथा -Learning Kit, Uniform, Post Placement Support का भुगतान किया जायेगा।
- गैर आवासीय प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों को उनके घर से प्रशिक्षण केन्द्र तक आने-जाने हेतु प्रति माह राशि **₹0 1000/-** Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से दी जायेगी।
- प्रशिक्षणोपरांत प्रमाणित सफल प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार प्रोत्साहन भत्ता रोजगार से न जोड़ने की स्थिति में (युवकों को प्रतिमाह **1000/-** रुपये एवं युवतियों/दिव्यांग/परलैंगिक को प्रतिमाह **1500/-** रुपये) अधिकतम एक वर्ष के लिए Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से दी जायेगी। रोजगार प्रोत्साहन भत्ता का भुगतान प्रशिक्षणोपरांत सफल अभ्यर्थियों को प्रमाणीकरण के तीन माह के अन्दर नियोजन नहीं होने की स्थिति में ही देय होगा।
- उक्त योजना का संचालन झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के <http://jsdm.jharkhand.gov.in> पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।
- उक्त योजना के तहत सभी प्रशिक्षणार्थियों का उपस्थिति आधार आधारित बायोमैट्रिक्स प्रणाली (Aadhar Enabled Biometric Attendance System) द्वारा दर्ज किया जायेगा।
- प्रमाणीकरण के उपरांत सफल प्रशिक्षणार्थियों को भारत सरकार के Common Cost Norms के अनुरूप रोजगार/स्वरोजगार से जोड़ना प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य होगा।
- उक्त योजना का अनुश्रवण राज्य स्तर पर कार्यकारिणी समिति, झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी एवं जिला स्तर पर जिला कौशल समिति के द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त उल्लेखित मापदण्डों को वर्तमान में संचालित योजनाओं पर भी लागू किया जाएगा ।

### **मुख्यमंत्री सारथी योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण सेवा प्रदाता के चयन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया**

- 1- झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी द्वारा मुख्यमंत्री सारथी योजना अन्तर्गत निविदा के माध्यम से इच्छुक एजेंसियों (सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (PSUs), उद्योग समूहों, सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थान, कंपनियाँ, सोसाईटी, ट्रस्ट इत्यादि) को चयनित कर सूचीबद्ध (Empanelment) की जायेगी ।
- 2- सूचीबद्ध प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के साथ सभी घटकों के लिए न्यूनतम पाँच वर्षों (SJKVY, EXCEL, BIRSA एवं DDUKK पाँच वर्ष) की अवधि के लिए विधिक्षा के उपरांत झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के साथ राज्य सरकार के वित्तीय नियमों कि अनुरूप अनुबंध हस्ताक्षरित किया जायेगा ।
- 3- EoI के माध्यम से सूचीबद्ध प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के साथ अनुबंध अवधि विस्तारित नहीं की जायेगी एवं इसके पूर्व ही पुनः Empanelment कर लिया जायेगा ।
- 4- जिला स्तर पर जिला कौशल समिति से प्राप्त जिला कौशल विकास योजना (DSDP) के अनुरूप अनुबंधित प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जायेगा ।
- 5- झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी द्वारा सभी घटकों के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु दिशानिर्देश (Guidelines) जारी किया जायेगा ।
- 6- झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी द्वारा तय मानकों के अनुरूप कार्यप्रदर्शन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करते हुए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के Common Cost Norms के नियमों के अनुरूप, प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को भुगतान किया जायेगा ।

### **मुख्यमंत्री सारथी योजना के सफल संचालन हेतु निम्नलिखित आवश्यक व्यवस्था निर्धारित है**

**परियोजना प्रबंधन** - उपरोक्त योजनाओं का संचालन झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी द्वारा किया जा रहा है जिसमें कार्यरत कार्यबल की संख्या एवं नियुक्ति प्रशासी पदवर्ग समिति झारखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा स्वीकृत इन पदों के विरुद्ध नियुक्त मानवबल एवं उनका प्रबंधन ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के अधीन संचालित Jharkhand State Livelihood Promotion Society (JSLPS) में लागू मानव संसाधन नियमावली के अनुरूप होगा। चूँकि प्रस्तावित Block level Institute for Rural Skill Acquisition (BIRSA) योजना का विस्तार राज्य के सभी प्रखण्डों में किया जाना है, अतएव प्रभावी योजना प्रबंधन (राज्य एवं जिला स्तर पर मानव संसाधन की तैनाती, जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर समन्वय, स्थानीय स्तर पर रोजगार, स्वरोजगार सृजन IT संबंधी सेवाएँ, उद्यमिता प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम तैयार करना आदि) हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की शुल्क आधारित (Fee Based) प्रबंधकीय सेवाएं लिया जायेगा ।

**मुख्यमंत्री सारथी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सफल प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों का विस्तार क्रमवार किया जायेगा जिसकी विवरणी निम्नवत है -**

| <b>Phase Wise मुख्यमंत्री सारथी योजना के क्रियान्वयन हेतु अपनाई जाने वाली रणनीति  &amp;</b>    |                  |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| शीर्षक                                                                                         |                  | वर्ष<br>2022&23 | वर्ष<br>2023&24 | वर्ष<br>2024&25 | वर्ष<br>2025&26 |
| वर्तमान में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>(SJKVY/DDUKK/EXCEL)                                 | केन्द्र संख्या   | 150             | 150             | 150             | 150             |
|                                                                                                | प्रशिक्षण लक्ष्य | 1]00]000        | 1]00]000        | 1]00]000        | 1]00]000        |
| अनुमोदन हेतु प्रस्तावित नई योजना (BIRSA)                                                       | केन्द्र संख्या   |                 | 80              | 150             | 264             |
| प्रत्येक प्रखण्ड में एक प्रशिक्षण केन्द्र के लिए 500 प्रशिक्षण लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। | प्रशिक्षण लक्ष्य |                 | 40]000          | 75]000          | 1]00]000        |

**मुख्यमंत्री सारथी योजना के क्रियान्वयन में UNDP द्वारा इन बिंदुओं पर सहयोग प्रदान किया जायेगा -**

- **Improve the capacity of JSDMS and other Stakeholders**
- Capacity enhancement of District Skill Committee (DSC) and enhanced coordination amongst district level actors
- Support in the preparation of DSDP/BSDP
- Support in Proposal Development with Focus on Inclusion
- Capacity building of District and Cluster Based public and private institutional actors
- Publicity and Visibility of Skill Development Initiatives
- Organize Career Conclave and Job Fairs
- State and District Level Human Resource Support

उपरोक्त उल्लेखित सभी बिंदुओं का क्रियान्वयन झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के वर्तमान एवं भविष्य हेतु आवश्यक है। उपरोक्त बिंदुओं के माध्यम से झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी Institution Development and Capacity Enhancement towards sustainable outcomes की अवधारणा पूरी की जायेगी। प्रथम चरण में UNDP से पाँच वर्षों तक विभिन्न सेवाएँ प्राप्त की जायेगी।

- वित्तीय नियमावली के नियम-235 को क्षांत करते हुए नियम 245 के तहत UNDP का मनोनयन किया जायेगा ।

**संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** द्वारा योजना प्रबंधन हेतु तैनात किये जाने वाले मानव संसाधन की संख्या निम्नवत है -

- राज्यस्तरीय मानव संसाधन - कुल संख्या **10**
- जिला स्तर पर - कुल संख्या - **48**

UNDP से प्राप्त सेवाएँ पूर्ण रूप से गतिविधि की पूर्णतः Completion and Quality पर आधारित होगा। UNDP द्वारा प्रदत्त सेवाओं का संभावित वार्षिक व्यय **4.5** करोड़ रुपये होगी एवं inflation के रूप में वार्षिक **5** प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी ।

**मुख्यमंत्री सारथी योजना अंतर्गत वार्षिक भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य -**

मुख्यमंत्री सारथी योजना अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु प्रतिवर्ष 2,00,000 प्रशिक्षणार्थियों का लक्ष्य निर्धारित है। जिसके प्रशिक्षण तथा योजना प्रबंधन मद में **Year 1- 661.20 Crore, Year 2- 764.40 and Year-3 onwards** - प्रतिवर्ष **₹0 838.12** करोड़ का बजट संभावित है, जिसे राज्य योजना मद से पूर्ण किया जायेगा। योजनावार प्रशिक्षण लक्ष्य एवं बजट राशि का विवरण निम्नवत है, जिसमें घटको के मध्य विचलन (Untide) अनुमान्य होगा-

**मुख्यमंत्री सारथी योजना - Budget Summary**

| Particulars                          | Unit         | Year 01<br>(FY 2023-24) | Year 02<br>(FY 2024-25) | Year 03<br>(FY 2025-26) &<br>Onwards |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Training Target :</b>             |              |                         |                         |                                      |
| DDU-KK                               | Number       | 60,000                  | 60,000                  | 60,000                               |
| SJKVY                                | Number       | 30,000                  | 30,000                  | 30,000                               |
| EXCEL                                | Number       | 10,000                  | 10,000                  | 10,000                               |
| BIRSA                                | Number       | 40,000                  | 75,000                  | 1,00,000                             |
| Total Yearly Target                  | Number       | 1,40,000                | 1,75,000                | 2,00,000                             |
| Training Cost as per<br>common norms | INR in Crore | 499.71                  | 571.75                  | 623.21                               |
| RojgarProtsahan Bhatta               | INR in Crore | 105.00                  | 131.25                  | 150.00                               |
| Total Training Cost                  | INR in Crore | 604.71                  | 703.00                  | 773.21                               |
| Special Project Cost                 | INR in Crore | 25.00                   | 25.00                   | 25.00                                |
| Admin Cost                           | INR in Crore | 31.49                   | 36.40                   | 39.91                                |
| Total Cost                           | INR in Crore | 661.20                  | 764.40                  | 838.12                               |

उक्त योजना पर व्यय की राशि बजट राज्य स्कीम **मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उपशीर्ष-41-कौशल विकास मिशन-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना** के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

- यह योजना संकल्प निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगा ।
- योजना का कार्यान्वयन एवं संचालन झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के स्तर से किया जाएगा ।
- प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक **10-11-2022** को संपन्न बैठक में मद सं**0-19** में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**प्रवीण कुमार टोप्पो,**  
सरकार के सचिव

-----